गतिविधि - 5

वाद-विवाद

गतिविधि – 5

वाद-विवाद
(Debate)

विवादास्पद विषयों की गहन पड़ताल के लिए वाद-विवाद नामक गतिविधि अधिक रुचिकर एवं उत्तम हैं। वाद-विवाद में किसी विषय के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को प्रस्तुत किया जाता है। किसी विषय के विभिन्न बिन्दुओं पर विभिन्न दृष्टियों से विचार करने के लिए वाद-विवाद उपयोगी सिद्ध होता है। किसी भी विषय पर वाद-विवाद सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों दृष्टियों से होना चाहिए ताकि विद्यार्थी विषय के पक्ष-विपक्ष में तर्क दे सकें। इस सारी प्रक्रिया से चिंतन और संप्रेषण कौशल के विकास में सहायता मिलती है।

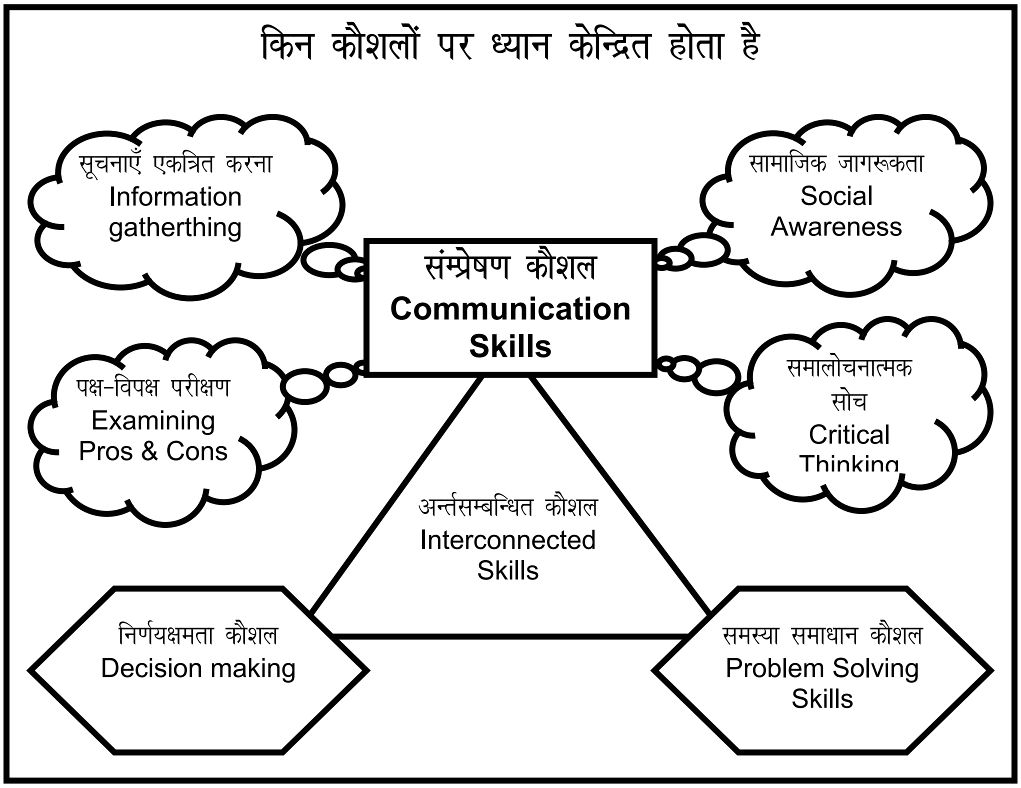

उद्देश्य

1. छात्रों में किशोरावस्था प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य **(ARSH)** सम्बन्धी विषयों/प्रकरणों को जांचने-परखने और स्पष्ट करने का समुचित मंच प्रदान कराना।
2. **ARSH** से संबंधित विषयों अथवा समस्याओं के संदर्भ में चिंतन और सम्प्रेषण कौशल विकसित करना।

लक्ष्य समूह

सातवीं से बारहवीं कक्षा तक समस्त छात्र।

वांछित सुविधाएं

एक बड़ा कमरा अथवा सभागार।

समय

एक या दो मास में एक बार एक या डेढ़ घंटे।

प्रक्रिया

1. वाद विवाद के विषय को अध्यापक गतिविधि से पहले निश्चित कर ले।

2. इस गतिविधि को दो चरणों में आयोजित किया जा सकता है। पहले चरण में वाद-विवाद को हर कक्षा में आयोजित किया जा सकता है और हर कक्षा में उत्तम दल **(Team)** को चुना जा सकता है। हर टीम में दो छात्र होंगे। एक पक्ष में बोलेगा तथा दूसरा विपक्ष में।

3. दूसरे चरण में हर कक्षा से चुनी गई उत्तम टीम को स्कूली स्तर पर आयोजित वाद विवाद में भागीदार बनाया जा सकता है।

4. स्कूली स्तर पर आयोजित इस गतिविधि में अभिभावक/मत-संवाहक और प्रचार-प्रसार में लगे लोगों को भी जोड़ा जा सकता है। उनमें से किसी एक से अध्यक्षता करने का आग्रह किया जाए।

5. दो या तीन उपयुक्त व्यक्तियों को निर्णायक अथवा निर्णायक मंडल के सदस्यों के रूप में चिह्नित किया जाए।

6. निर्णायक मंडल के सदस्य को वाद-विवाद की प्रत्येक टीम के प्रत्येक सदस्य का प्रदर्शन देखकर मूल्यांकन के मापदण्ड निश्चित करने होंगे।

7. जब सभी दल अपने विचार व्यक्त कर लें तो श्रोतागण से प्रश्न पूछने के लिए आग्रह करें या वे स्पष्टीकरण मांगे और सम्बन्धित प्रतिभागी उनके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें।

8. वाद विवाद के विजेताओं को प्रेरित करने के लिए पुरस्कृत किया जाए।

9. अध्यक्ष परिचर्चा का संक्षेपण करे। यदि अध्यापकों या श्रोतागणों में से कोई व्यक्ति यह महसूस करें कि कोई प्रासंगिक सूचना या विचार छूट गया है तो वे उन बिन्दुओं को सामने ला सकता है।

वाद विवाद के लिए कुछ विषय

सदन की राय में :

1. सदियों से किशोरों की आवश्यकताओं को समाज द्वारा उपेक्षित किया गया है।

2. वर्तमान सामाजिक, सांस्कृतिक सिद्धान्तों से किशोरों की वृद्धि और विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

3. किशोरों की वर्तमान पीढ़ी उत्तरोत्तर गैर-जिम्मेवार होती जा रही है।

4. भारत में एच आई वी संक्रमण और एड्स का भय अनावश्यक है।

5. ‘‘लैंगिक समानता’’ स्वस्थ और खुशहाल परिवारिक जीवन की कुंजी है।

6. समआयु समूह का दबाव ही किशोरों में मादक व्यसन का एक मात्र कारण है।

7. सभी स्कूली छात्रों को किशोर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।

8. इलैक्ट्रौनिक मिडिया आज के युवाओं को खराब कर रहा है।

पुनर्निवेशन (Feedback)

हर बार गतिविधि के समापन पर, पुनर्निवेशन लेने के लिए कुछ विशेष पग उठाए जा सकते हैं। सम्बन्धित शिक्षक निम्नानुसार विवरणिका तैयार कर सकते हैं :

1. वाद-विवाद का विषय क्या था?

2. कितनी टीमें थी और किन कक्षाओं से थीं जिन्होंने वाद विवाद में भाग लिया ?

3. कितने विशेषज्ञों/व्यवसायिकों को निर्णायकों की भूमिका निभाने के लिए अथवा अध्यक्षता के लिए बाहर से आमन्त्रित किया गया और वे किस ऐजेंसी अथवा संस्थान से सम्बन्धित थे ?

4. प्रतिभागियों के प्रस्तुतीकरण के बाद क्या छात्रों ने वाद विवाद में सक्रिय भाग लिया ? क्या उन्होंने कुछ भिन्न प्रश्न भी पूछे ?

5. विषय के ऐसे कौन से आयाम थे जिन पर प्रतिभागियों का ध्यान नहीं गया ?